प्रेस नोट

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 60 लीटर अवैध शराब सहित कुल 03 अभि0गण को गिरफ्तार करने के संबंध में ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ संकल्प शर्मा के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों,अवैध शराब के निष्कर्षण,तस्करी व अवैध शराब की बिक्री करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 17.10.2020 को थाना कादरचौक पुलिस द्वारा एक अभियुक्त सौदान पुत्र किशन लाल निवासी खितौलिया थाना कादरचौक जनपद बदायूँ को मय 20 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । जिसके संबंध में स्थानीय थाना पर मु0अ0सं0 260/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई की गयी। थाना सहसवान पुलिस द्वारा एक अभियुक्त अवनेश पुत्र वांकेलाल यादव निवासी ग्राम कुकरईया फाजिलपुर थाना सहसवान जिला बदायूँ को मय 20 लीटर शराब ब शराब बनाने के उपकरण के साथ ग्राम कुकरईया फाजिलपुर से गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 453/20 धारा 60(2) एक्साइज एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की गयी। थाना बिनावर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त अजीम पुत्र बाबू निवासी ग्राम सिरोही थाना भमोरा जिला बरेली को 20 लीटर नाजायज शराब बिक्री हेतु ले जाते समय गिरफ्तार किया गया इस संबंध में थाना बिनावर पर मु0अ0सं0 273 /20धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई की गयी।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद बदायूं ।